न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 22 / 2013 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती जवेरी पत्नी स्वर्गीय नारूजी डांगी, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमला पत्नी मनोहरलाल जी डांगी, निवासी रेड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती भूरी पुत्री नन्दा जी डांगी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्यारी बाई पुत्री नन्दा जी डांगी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रूकमा पत्नी वक्ता जी डांगी, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. भूरा पिता नन्दा जी डांगी, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. प्रभूलाल पिता गहरीलाल जी डांगी, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 03.09.2012, प्र.सं. 328 / 08

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 1,2

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 31–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गन्दोली में पक्षकारान की शामलाती भूमि वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार अंकित है, जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है। वादग्रस्त भूमि उनके पिता नन्दा जी की थी, जिनका स्वर्गवास आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया एवं उनके मरने के बाद उनके वारिसान नारू, वक्ता, भूरा व श्रीमती प्यारी के नाम भूमि खातेदारी हक से दर्ज हो गयी, जबकि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। वक्ता एवं नारू दोनों फोत हो चुके हैं। दोनों के लड़के नहीं हैं। नारू के बजाय पुत्री कमला एवं पत्नी रूकमा के नाम भूमि दर्ज हो गयी, जो उनके हिस्से से अधिक दर्ज हो गयी। उक्त भूमि में जवेरी, कमला का 1/5 हिस्सा, रूकमा का 1/5 हिस्सा, भूरा का 1/5 हिस्सा एवं वादीगण भूरी का 1/5 व प्यारी का 1/5 हिस्सा है, जबकि वर्तमान में 1/3, 1/3 हक से भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। रूकमणी का 1/5 वां हिस्सा बनता है, जबकि रेकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज होने से उसके द्वारा प्रतिवादी प्रभूलाल को भूमि विक्रय कर दी गयी है, यदि भूमि प्रभूलाल के नाम दर्ज हो गयी तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 कमला व जवेरी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि उनके नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर मौके पर भूमि अलग से उनके नाम दर्ज हो चुकी है। वादीगण की शादी होकर अपनी ससुराल में रहती हैं तथा उनका कब्जा नहीं है। पहले यह जमीन नारू जी के 1/3 हिस्से से दर्ज थी, उनके स्वर्गवास के बाद हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है।

पक्षकारान मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। वैसे भी जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारिज नहीं करा दिया जाता तब तक वाद चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 5 प्रभूलाल की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. आया मौजा गन्दोली खेड़ा प.म. लदानी की आराजी नंबर 428, 463, 464, 465, 466, 505/456, 424, 513/301 मौरूसी जायदाद है जो कि स्वर्गीय नन्दाजी की थी एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान नारू, वक्ता, भूरा, भूरी, प्यारीबाई के नाम खातेदारी से दर्ज हो गयी, जबकि वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज होनी चाहिए थी, जिसके लिए वादीगण खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं ?..... वादीगण
2. आया वाद वर्णित आराजियात में वादीगण 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं ?..... वादीगण
3. आया वाद वर्णित आराजियात पर वादीगणों का पिछले 30 वर्षो से कब्जा काश्त नहीं है तथा हम (श्रीमती कमला एवं श्रीमती जवेरी) दही 1/3 हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रही हैं ?..... प्रति.सं. 2, 4
4. आया रूकमी का 1/3 हिस्सा प्रभूलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तब से ही प्रभूलाल काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है ?.....प्रतिवादी संख्या 5
5. दादरसी ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03–09–2012 से वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 व 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–02–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त कर रखा

था तथा उन्हें प्रकरण में सूचना देने को कह रखा था, किन्तु वकील द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 11–02–2013 को जब उन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुए। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतएवं मयाद कण्डाने की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 7, 8 की औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के वर्णित तथ्यों को ही वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा साबित नहीं कराये जाने के बावजूद तनकी उनके पक्ष में निर्णित कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में वाद पत्र की ताईद नहीं की है तथा रूकमा के अन्यत्र नाते चले जाने का कथन एवं वाद पत्र के अनुतोष बाबत् कोई कथन नहीं किया है। नन्दाजी की 60–70 वर्ष पूर्व सन् 1956 से पूर्व मृत्यु का कथन किया है, जिससे पैत्रृक भूमियों में उनका कोई हक व अधिकार नहीं रहता है। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से गवाह पेश किये गये हैं परन्तु न्यायालय ने उनके जिरह नहीं करने का निवेदन किया है तथा पी.डब्ल्यू.6 केसूलाल ने जो कथन किये हैं, उनका न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया है। अपने ने अपने

जवाबदावे के तथ्यों को साक्ष्यों से साबित कराया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों का औचित्य पूर्ण विवेचन नहीं किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि आराजियात मौरूसी होने बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट स्थिति है कि वादीगण नन्दा जी की जाईन्दा पुत्रियां हैं। प्रकरण में नन्दा जी के स्वर्गवास के बाद पुत्रियों का हक होने के तथ्यों से निषेध किये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पिता की सम्पत्ति से पुत्रियों को वंचित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा उत्तराधिकार के मामलों में कब्जा गौड़ होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती जवेरी पत्नी स्व. नारूजी डांगी, निवासी गन्दोलीखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती भूरी पुत्री नन्दाजी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**22 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**09**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**.....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा** .....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री ओंकारलाल डांगी**...

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।